दिनांक 04.04.2013 को मुंगेर जिलान्तर्गत मनरेगाकर्मियों द्वारा सामूहिक रूप से दिये गये त्यागपत्र के निमित्त श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 05.04.2013 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वैश्म में सम्पन्न विशेष बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति –

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. श्री अजय कुमार झा, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
4. कार्यक्रम पदाधिकारी, सदर।
5. कार्यक्रम पदाधिकारी, जमालपुर।
6. कार्यक्रम पदाधिकारी, बरियारपुर।
7. कार्यक्रम पदाधिकारी, धरहरा।
8. कार्यक्रम पदाधिकारी, खड़गपुर–सह–टेटियाबंबर।
9. कार्यक्रम पदाधिकारी, तारापुर।
10. कार्यक्रम पदाधिकारी, असरगंज।
11. कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर।

दिनांक 04.04.2013 को अधोहस्ताक्षरी के डाक में पंचायत रोजगार सेवक एवं पंचायत तकनीकी सहायक के नाम पर हस्ताक्षररहित एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि सभी पंचायत रोजगार सेवक इस्तीफा दे रहे हैं, किन्तु किसी भी पंचायत रोजगार सेवक का इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है एवं उस पत्र में किसी का भी हस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही पत्र के साथ अलग–अलग सादे कागजों पर बिना तिथि के कई कर्मियों का हस्ताक्षर किया गया है जिसका मिलान संभव नहीं है एवं उक्त पत्र किसी भी कर्मचारी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर नहीं दिया गया है।

संदर्भित पत्र ग्रामीण विकास सचिव को सम्बोधित किया गया है एवं उसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को दी गयी है। आज की विशेष बैठक में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा उपस्थित हैं। तदनुसार सभी पंचायत रोजगार सेवक एवं मनरेगा कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा प्रारंभ की गयी एवं निम्न कार्रवाईयों का निदेश दिया गया :–

(1) सदर :–

कार्यक्रम पदाधिकारी, सदर ने बताया कि प्रखंड में वर्तमान में 04 पंचायत रोजगार सेवक कार्यरत् हैं जिसमें से एक रंजीत कुमार झा उपस्थित हुये है तथा संघ के भय से कार्य नहीं कर रहे हैं, किन्तु वे कार्य करना चाहते हैं तथा वे बुधवार को मय एवं जानकीनगर पंचायत के मनरेगा जांच के समय उपस्थित थे। अन्य तीन पंचायत रोजगार सेवकों से दूरभाष पर वार्त्ता हुई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि वे बैठक में उपस्थित होंगे, परन्तु न केवल वे आज की बैठक में अनुपस्थित हैं, बल्कि उनका मोबाईल भी बंद है।

(2) जमालपुर :–

कार्यक्रम पदाधिकारी, जमालपुर ने बताया कि उनके प्रखंड में 04 पंचायत रोजगार सेवक कार्यरत् है जिनमें मात्र दो पंचायत रोजगार सेवक कमलेश्वर प्रसाद एवं जितेन्द कुमार से दूरभाष पर बात हुई है तथा उनके द्वारा भरोसा दिलाया गया कि वे बैठक में सभी प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित रहेंगे, किन्तु आज की बैठक में दोनों अनुपस्थित हैं। साथ ही कार्यरत् अन्य दो पंचायत रोजगार सेवक चितरंजन कुमार एवं सोनम कुमार पासवान अपने कार्य से भी अनुपस्थित है। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चितरंजन कुमार का गृह निवास हेमजापुर में है तथा वे बांक पंचायत के प्रभार में हैं। इसी प्रकार सोनम कुमार पासवान का घर बरियारपुर में हैं तथा वे पाटम पूर्वी, पाटम पश्चिमी पंचायत के प्रभार में हैं। तथा वे अपने कार्यालय से अनुपस्थित हैं।

(3) बरियारपुर :-

कार्यक्रम पदाधिकारी, बरियारपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके प्रखंड में 04 पंचायत रोजगार सेवक कार्यरत् हैं जिनमें 03 पंचायत रोजगार सेवकों, यथा- राजीव रंजन, अनमोल कुमार सिंह (बुधवार को मनरेगा जांच के क्रम में करहरिया पश्चिमी की योजना जांच के समय उपस्थित होकर सहयोग किया गया था) एवं पंवन बिहारी बंसल से दूरभाष पर हुई वार्त्ता के क्रम में बैठक में सभी प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित होने की बात पर भरोसा दिलाया गया था। एकमात्र पंचायत रोजगार सेविका कल्पना गुप्ता, जो मुंगेर में निवास करती हैं तथा बरियारपुर उत्तरी एवं रतनपुर पंचायत में पदस्थापित हैं, से बात नहीं हो सकी, क्योंकि वे न तो अपने कार्यालय पंचायत में रहती हैं और न ही प्रखंड कार्यालय में ही निवास करती है। काफी खोजबीन के बावजूद उनसे सम्पर्क कर पाना संभव नहीं हो सका।

(4) धरहरा :-

कार्यक्रम पदाधिकारी, धरहरा ने बैठक के क्रम में बताया कि उनके प्रखंड में 06 पंचायत रोजगार सेवक कार्यरत् हैं एवं सभी को दिनांक 02.04.2013 को मासिक प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया था एवं उक्त तिथि के पश्चात् उनसे सम्पर्क करने का प्रयास विफल रहा है। एकमात्र पंचायत रोजगार सेवक निरंजन ज्योति, जो दिनांक 03.04.2013 को सारोबाग पंचायत में मनरेगा जांच के समय उपस्थित थे, द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि उनके संघ के निर्णयानुसार मनरेगा से संबंधित कोई भी प्रतिवेदन समर्पित करने से मना किया गया है। तदनुसार ही कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मार्च, 2013 का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने की बात कही गयी।

(5) खड़गपुर :-

कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड में कार्यरत् कुल 12 पंचायत रोजगार सेवकों में से 09 पंचायत रोजगार सेवकों से बात हुई है, परन्तु दो पंचायत रोजगार सेवक अजय कुमार यादव, जो टेटिया पंचायत में निवास करते है, एव प्रेमसागर गुप्ता, जो तारापुर में रहते हैं, से सम्पर्क करने प्रयास के दौरान मोबाईल बंद पाया गया। साथ ही उपरोक्त 09 पंचायत रोजगार सेवकों को आज की बैठक में भाग लेने हेतु वार्त्ता के क्रम में बताया कि वे सामूहिक रूप से अपना त्यागपत्र समर्पित कर दिये है, परन्तु प्रखंड कार्यालय को इसकी कोई सूचना नहीं है।

(6) टेटियाबंबर :-

कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि टेटियांबबर प्रखंड अन्तर्गत 05 पंचायत रोजगार सेवक पदस्थापित है जिनमें दो पंचायत रोजगार सेवक प्रवीण कुमार सिंह एवं विनोद कुमार मुर्मु से बात हुई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि वे आज की बैठक में सभी प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित होंगे, परन्तु उनके द्वारा मनरेगा योजना की महत्ता की अनदेखी कर बैठक में उपस्थित होना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया।

(7) तारापुर :-

कार्यक्रम पदाधिकारी, तारापुर ने बताया कि प्रखंड में कार्यरत् सभी 07 पंचायत रोजगार सेवकों से दिनांक 03.04.2013 को बात हुई है, परन्तु अभी तक किसी भी पंचायत रोजगार सेवक ने न तो पाक्षिक प्रतिवेदन और न ही एन0पी0आर0 ही समर्पित किया है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्राप्त पत्र की तामिला हेतु सभी को सूचना भी दी गयी थी, किन्तु कोई जवाब नहीं दिया गया।

उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत् तारापुर प्रखंड में पदस्थापित सभी पंचायत रोजगार सेवकों को निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर वे अपना प्रभार अधोलिखित तालिका के अनुसार पंचायत सेवकों को देंगे :-

क्र0	सम्बद्ध पंचायत	पंचाय सचिव का नाम
1	2	3
01	माणिकपुर, धोबई	रविन्द्र कुमार
02	गनैली, बेलाडीह	रामचन्द्र प्रसाद यादव
03	लौना, अफजलनगर	सत्येन्द्र नारायण सिंह
04	गाजीपुर, तारापुर	राजेन्द्र प्रसाद सिंह
05	पढ़भरा	राजकिशोर साह
06	खैरा, रामपुर विषय	राजनीति पंडित
07	बिहमा	जर्नादन प्रसाद यादव

चूँकि दिनांक 04.04.2013 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिये गये आवेदन पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है वास्तव मे किन-किन पंचायत रोजगार सेवकों ने त्यागपत्र दिया है, इसलिये सभी पंचायत रोजगार सेवकों को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय से सम्बद्ध किया जाता है तथा उपस्थित नहीं होने वाले पंचायत रोजगार सेवकों के मामले में यह माना जायेगा कि वे कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित बैंकों को भी यह निदेश दिया जाये कि पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा पूर्व अथवा वर्तमान में मनरेगा योजना में काटे गये चेकों को किसी भी परिस्थिति में वैद्य/मान्यता नहीं दिया जाये तथा नव पदस्थापित पंचायत सेवकों के पदस्थापन के उपरान्त पंचायत सेवकों द्वारा उन चेकों के revalidate किये जाने के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाये।

(8) असरगंज :-

कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि असरगंज प्रखंड अन्तर्गत 04 पंचायत रोजगार सेवक कार्यरत् है तथा सभी से बारम्बार सम्पर्क करने का प्रयास विफल रहा है जिसके कारण माह मार्च, 2013 का प्रतिवेदन भी उनके कार्यालय में संधारित नहीं हो सका है। काफी कोशिशों के बाद एक पंचायत रोजगार सेवक से दूरभाष पर हुई वार्त्ता के क्रम में अवगत कराया गया कि संघ के निर्णित निदेशों के अनुपालन के अनुसार वे प्रतिवेदन समर्पित नहीं करेंगे, जिसके पश्चात् उन्हें आज की बैठक में उपस्थित होने हेतु SMS भी कर दिया गया, बावजूद इसके वे आज की बैठक में अनुपस्थित हैं।

उपरोक्त सभी पंचायत रोजगार सेवकों की अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न केवल मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधक बन रहे हैं, बल्कि कार्य की महत्ता को दरकिनार कर स्वार्थवश अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुरजोर कोशिश कर रहे है, जो किसी भी परिस्थिति में क्षमा योग्य नहीं है एवं नियमानुसार कठोर कार्रवाई अपेक्षित है।

अतः संबंधित बैंकों को सर्वप्रथम यह निदेश दिया जाये कि पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा पूर्व अथवा वर्तमान में मनरेगा योजना में काटे गये चेकों को किसी भी परिस्थिति में वैद्य/मान्यता नहीं दिया जाये।

उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत् असरगंज प्रखंड में पदस्थापित सभी पंचायत रोजगार सेवकों को निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर वे अपना प्रभार अधोलिखित तालिका के अनुसार पंचायत सेवकों को देंगे :-

क्र0	सम्बद्ध पंचायत	पंचाय सचिव का नाम
1	2	3
01	असरगंज	सुरेश प्रसाद यादव
02	मकवा	इन्द्रदेव गुप्ता
03	जोरारी	इन्द्रदेव गुप्ता (प्रभार में)
04	सजुआ	कपिलदेव प्रसाद यादव
05	रहमतपुर	कपिलदेव प्रसाद यादव (प्रभार में)
06	चौरगॉव	जयप्रकाश यादव
07	अमैया	जयप्रकाश यादव (प्रभार में)

(9) संग्रामपुर :-

कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर ने बताया कि वर्तमान में उनके प्रखं डमें 07 पंचायत रोजगार सेवक कार्यरत् हैं जिनमें विकास कुमार को पंचायत आवंटित नहीं किया गया है तथा एकमात्र पंचायत रोजगार सेवक गौरव कुमार से बात हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य पंचायत रोजगार सेवकों, यथा जितेन्द्र कुमार, कमलेश कुमार, रंधीर कुमार, बालेश्वर यादव, रंजीत कुमार एवं अरूण कुमार पंडित को पूर्व में भी मार्च का प्रतिवेदन लेकर आने के लिये कहा गया था, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुये, परन्तु रंजीत कुमार एवं अरूण कुमार पंडित पंचायत रोजगार सेवक बुधवार को दुरमट्टा पंचायत के मनरेगा जांच के समय स्वयं उपस्थित थे।

निष्कर्षतः सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि प्रखंड अधीनस्थ पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवकों को तीन दिन का समय देते हुये निदेश निर्गत किये जायें कि जो पंचायत रोजगार सेवक अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरूद्ध अग्रेत्तर नियमानुसार कार्रवाई जिसमें राशि की वसूली एवं तदोपरान्त पंचायत सेवकों को प्रभार देने पर विचार किया जायेगा।

चूँकि प्राप्त पत्र किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है एवं किसी भी पृष्ठ पर किसी अथवा उस पत्र पर किसी का भी हस्ताक्षर नहीं है, इसलिये यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किस व्यक्ति ने वास्तव में अपना त्यागपत्र स्वेच्छा से समर्पित किया है, अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी हस्ताक्षर तो नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि एक अन्य मामले में तारापुर प्रखंड के पंचायत रोजगार सेवक फखरे आलम एवं मुखिया रामवतार मांझी ने न केवल कनीय अभियतां, सहायक अभियंता, बल्कि आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर का फर्जी हस्ताक्षर कर थाना को दिया था।

अतः इस बात की पूरी संभावना है कि मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण एवं उद्देश्यपरक योजना में किसी व्यक्ति द्वारा निजी स्वार्थ की भावना के साथ फर्जी हस्ताक्षर कर पत्र तैयार किया गया है, इसलिये सर्वप्रथम यह आवश्यक हो जाता है कि प्रेस विज्ञप्ति एवं आम सूचना के माध्यम से पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायकों एवं कनीय अभियंता को सूचना दी जाये कि वे संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि क्या वास्तव में उक्त पत्र में उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है अथवा नहीं। साथ ही अनुपस्थित होने वाले मनरेगा कर्मियों को अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित मानते हुये तदनुसार नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो व्यक्ति वास्तव में अपना इस्तीफा देना चाहते हैं वे संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष अथवा विहित प्रपत्र में त्यागपत्र समर्पित करें ताकि किसी दूसरे कर्मी को प्रभार दिया जा सके।

उक्त अहस्ताक्षरित पत्र को न तो हड़ताल की सूचना माना जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति का इस्तीफा। अतः उसके आधार पर कार्य से अनुपस्थित कर्मियों पर इकरारनामा एवं शर्त्तों के अधीन अग्रेत्तर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जो कर्मी कार्यरत् हैं, वे तुरंत कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कार्यरत् होने की सूचना दें।

इस कार्यवाही की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिये जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध करायी जाये ताकि जो पंचायत रोजगार सेवक वास्तव में अपने पंचायतों में कार्य कर रहे हों, तो उनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर से इस्तीफा दिये जाने का मामला न हो सके।

उल्लेखनीय है कि पिछले छह माह से राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बुधवार को मनरेगा योजनाओं की स्थलीय जांच करायी गयी है जिसमें अनेक अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित मनरेगा कर्मियों से कारणपृच्छा भी मांगा गया है एवं मात्र 10 दिन पूर्व ही जिला स्तरीय बैठक में यह चर्चा हुई थी कि अनियमितता प्रतिवेदनों एवं लंबित कारणपृच्छाओं को समेकित कर अग्रेत्तर नियमानुसार कार्रवाईयॉ की जाये जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा पंचायत रोजगार सेवकों को बहकाकर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है ताकि परिलक्षित अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं हो सके। इसलिये यह समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है कि कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो इस साजिश के पीछे हैं एवं क्यों डाक से दिये गये इस पत्र पर किसी भी व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित नही है। अतः इसकी जांच के लिये सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को उपरोक्त पत्र की छायाप्रति दी जाये एवं उस पत्र के साथ संलग्न सादे कागज पर तिथिविहीन हस्ताक्षर की पहचान करें कि क्या उक्त हस्ताक्षर प्रखंडों में पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता का ही हस्ताक्षर है अथवा नहीं।

समीक्षा के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि कार्यक्रम पदाधिकारी, सदर के अतिरिक्त पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किसी कार्यक्रम पदाधिकारी को माह मार्च, 2013 का प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। अतः सभी कार्यक्रम पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी पंचायत रोजगार सेवकों को यह भी सूचित करें कि यदि उनके द्वारा इस्तीफा समर्पित किया भी जाता है तब भी मार्च, 2013 का अद्यतन प्रतिवेदन तैयार कर 03 (तीन) दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे, अन्यथा जांचोपरान्त अग्रेत्तर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

30/04/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक.....792...../डी0आर0डी0ए0, दिनांक.....06.04.2013

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला/ सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/04/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....792...../डी0आर0डी0ए0, दिनांक.....06.04.2013

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/04/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।